न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 50 / 2017

RCMS No. 2017/00231

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण:–**
1 विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली		1. सोनकी सरपंच ग्राम पंचायत भीटवाडा 2. गुलाबसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राव निवासी भीटवाडा तहसील बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

पंचायत प्रसार अधिकारी, प्रार्थी की ओर से
श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 25/10/18

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, भीटवाडा द्वारा मिसल संख्या 82 / 2005–2006, संकल्प संख्या 07 दिनांक 04.01.2008 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 09.01.2008 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पंचायत प्रसार अधिकारी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी किया गया है, उस भूमि का पट्टा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा महेन्द्रसिंह पुत्र भेरूसिंह के नाम जारी किया जा चुका है, जिसके पट्टा संख्या 19 दिनांक 26.09.1972 है। कानूनन एक बार किसी भूमि का पट्टा बना दिया जाता है, तो उस भूमि का पट्टा दुबारा किसी के भी पक्ष में जारी नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों में जो प्रक्रिया विहित है, उनमें से किसी भी प्रावधान की पालना नहीं की गई है तथा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टासुदा भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा वर्तमान ग्राम पंचायत को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष अपने आवासीय मकान का पट्टा जारी कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाया। इसके पश्चात ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा नक्शा तैयार किया गया। ग्राम पंचायत कोरम के समक्ष मिसल प्रस्तुत करने पर तीन पंचों

अति॰ जिला कलक्टर, पाली

को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया। पंचो की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। उक्त आपत्ति इश्तिहार मौके पर चस्पा किया गया। निर्धारित समयावधि के भीतर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर दो स्वतन्त्र गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी किया गया, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। जिस पट्टे को आधार बनाकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, वह पट्टा विधि सम्मत नहीं है। उक्त तथाकथित पट्टा, जो महेन्द्रसिंह के नाम से जारी होना बताया है, वह 29.06.1972 को जारीसुदा है। उस समय उक्त भूमि आबादी नहीं थी। इस कारण तत्समय ग्राम पंचायत उक्त भूमि के पट्टा जारी करने हेतु अधिकृत नहीं थी। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा दिनांक 06.09.2001 को आबादी घोषित की गई है तथा ग्राम पंचायत को सुपुर्द की गई है। इससे पूर्व उक्त भूमि सरकारी सिवायचक दर्ज थी, जिस पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने की कोई अधिकारिता नहीं थी। इस कारण तथाकथित पट्टा, जो महेन्द्रसिंह के नाम जारी किया जाना बताया है, वह विधि विरूद्ध है एवं ऐसे विधि विरूद्ध पट्टे के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, भीटवाडा द्वारा मिसल संख्या 82/2005–2006, संकल्प संख्या 07 दिनांक 04.01.2008 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 09.01.2008 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी आज्ञा की मिसल के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत भीटवाडा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पुश्तैनी आवासीय भूमि का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। इस पर दिनांक 20.07.2006 को मिसल कायम की गई एवं दिनांक 08.11.2007 को प्रस्ताव संख्या 7 के जरिये तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया तथा सचिव को नक्शा बनाकर प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में सचिव द्वारा नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किया तथा वार्ड पंचों द्वारा अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की। इस पर पंचायत की बैठक दिनांक 05.12.2007 को प्रस्ताव संख्या 13 के अनुक्रम में एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात नियत समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर जैर निगरानी आज्ञा जारी की गई। मिसल के संलग्न पटवारी हल्का द्वारा जारी भूमि किस्म प्रमाण पत्र के अनुसार जैर निगरानी वादस्थ भूमि ग्राम भीटवाडा के खसरा नम्बर 587 में अवस्थित होना जाहिर किया, जिसकी किस्म गै0मु0 आबादी है। अब प्रश्न यह उद्भूत होता है कि उक्त भूमि पर पूर्व में महेन्द्रसिंह के नाम पट्टा संख्या 19 दिनांक 26-09-1972 को जारी हो चुका है, तो उस स्थिति में उसी भूमि का दुबारा पट्टा जारी किया जा सकता था अथवा नही ? इस

अति० जिला कलक्टर, पाली

सम्बन्ध में रेकर्ड का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि पटवारी हल्का द्वारा प्रकरण में जो भूमि प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उसके अनुसार जैर निगरानी पट्टे की भूमि खसरा नम्बर 587 में समाहित होती है। उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा जरिये आदेश क्रमांक एफ.2(3)राज–11/2001/ दिनांक 514 के जरिये ग्राम भीटवाडा के खसरा नम्बर 151 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 587 रकबा 0.23 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 144 रकबा 0.36 हैक्टेयर की भूमि को आबादी घोषित करते हुए ग्राम पंचायत को सुपुर्द करने के आदेश पारित किए है। चूंकि इस भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा महेन्द्रसिंह के पक्ष में तथाकथित पट्टा संख्या 19 दिनांक 26.09.1972 जारी किया गया है तथा उस पट्टे के अस्तित्व में रहते ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, भीटवाडा द्वारा मिसल संख्या 82/2005–2006, संकल्प संख्या 07 दिनांक 04.01.2008 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 09.01.2008 को खारिज़ किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 25/10/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली